

हरिभूमि धमतरी भूमि

रायपुर, बुधवार 2 अप्रैल 2025

कुरुद | सिर्री | जीजामगांव | नगरी | मगरलोड

तापमान



अधिकतम 37 डिग्री
न्यूनतम 24 डिग्री

11 बारिश पूर्व
शहर की
नालियों की
सफाई शुरू



12 गर्मी में भी
शहरवासियों
को मिलेगा
भरपूर पानी...



नवरात्रि विशेष



चतुर्थ : कृष्णाण्डा

मां दुर्गा अपने चतुर्थ स्वरूप में कृष्णाण्डा के नाम से जानी जाती हैं। नवरात्र के चौथे दिन आयु, यश, बल व ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली भगवती कृष्णाण्डा की उपासना-आराधना का विधान है। अपनी मंद हंसी द्वारा अण्ड अर्थात् ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कृष्णाण्डा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था तब इन्होंने देवी ने अपने ईश्वर हास्य से ब्रह्माण्ड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति मानी जाती हैं। इनके पूर्व ब्रह्माण्ड का अस्तित्व था ही नहीं। इनकी आठ गुणधर्म हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कण्ठदण्ड, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृतपुष्पा कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जामुला है, इनका वाहन सिंह है। अपनी मंद, हल्की हंसी द्वारा ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कृष्णाण्डा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कृष्णाण्डा को कुम्हड़ कहते हैं। बलियों में कुम्हड़ की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण से भी मां कृष्णाण्डा कहलाती हैं। सर्वाप्रथम मां कृष्णाण्डा की मूर्ति अथवा तस्वीर को चौकी पर दुर्गा यंत्र के साथ स्थापित कर इस यंत्र के नीचे चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, अपने मनोरथ के लिए मन्त्रोक्तमन्त्र गूँटिका यंत्र के साथ रखें, दीप प्रज्ज्वलित करें तथा हाथ में पीले पुष्प लेकर मां कृष्णाण्डा का ध्यान करें। वन्दे वाहिनी कामेश चन्द्रार्चकृत शंकरप्रभु सिंहस्वरूपा अष्टभुजा कृष्णाण्डा यशस्वतीमम।

खबर संक्षेप

उमरगांव में मानस सम्मेलन 4 अप्रैल से

नगरी। ग्राम उमरगांव में चैत्र नवरात्रि पर मानस सम्मेलन का आयोजन 4, 5, 6 अप्रैल को किया गया है जिसमें 18 ख्यातिप्राप्त मंडली रामकथा का रसपान करायेंगी। 6 अप्रैल को श्रीराम जन्म उत्सव मनाया जायेगा। तैयारी में मानस सम्मेलन समिति के अध्यक्ष मोहन पुजारी, उपाध्यक्ष चन्द्रमान यादव, पूनमचंद कश्यप, सचिव देवेन्द्र सन, सहसचिव संतोष कामड़े, कोषाध्यक्ष कृपाराम ठाकुर, मीडिया प्रभारी रोमेश साहू, अंगेश हिरवानी, विष्णु शेष, दुर्गाश पुजारी, डिकेश्वर साहू, तोपेन्द्र साहू, कृष्ण मारकोले समेत ग्रामवासी जुटे हुए हैं।

चेतना का नवोदय में चयन

धमतरी। प्राथमिक शाला सियादेही की कुमारी चेतना पिता गोपीराम

नागेश का चयन जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद के लिए हुआ है। इनके मार्गदर्शक शिक्षक डीएम सिंह पटेल एवं शिक्षिका श्रीमती सत्यभामा साहू हैं। छात्रा के चयन पर कीर्तन नागेश, श्रीमती नीलेश्वरी देवकी, पुष्पा तथा संजय रामटेके ने हर्ष व्यक्त किया है।

तीन किमी एरिया तक दुर्गंध और मक्खियों से परेशान हैं ग्रामीण

कुसुमखुंटा में मक्खियों का आतंक

हरिभूमि न्यूज | धमतरी

ग्राम कुसुमखुंटा में संचालित मुर्गी फार्म ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तीन किमी के क्षेत्र में मक्खियों के आतंक से लोगों का जीना दुश्पर हो गया है। वहीं असहनीय दुर्गंध से ग्रामीणों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। सरपंच प्रतिनिधि रामायण सिन्हा के नेतृत्व में मंगलवार को ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मक्खी और दुर्गंध को समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

विरञ्जुली सरपंच प्रतिनिधि



रामायण सिन्हा, पुष्पलता सिन्हा, पूर्व सरपंच प्रेमनन्द धुव, पंच गैदी धुव, रजनीबाई, कमलेशबाई, जानबाई धुव, सोमकुमार धुव, महेश्वरीबाई, गौतम धुव, संतराम,

नोहर, महेश्वर, नरेंद्र, सुकलाल, देवेन्द्र नेताम, गुलाब नेताम, युवराज ने कलेक्टर पंचक कर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। आवेदन में कहा कि विरञ्जुली पंचायत के ग्राम

कुसुमखुंटा में एमआई हेचरी मुर्गी फार्म संचालित है। साफ-सफाई के अभाव में भारी मात्रा में मक्खियाँ उत्पन्न हो रही हैं जो मुर्गी फार्म से तीन किमी एरिया तक के क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित कर रही है। भोजन करने, पानी पीने की समस्या बन गई है, वहीं दुर्गंध के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने हेचरी फार्म से आने वाली मक्खियों तथा दुर्गंध पर तत्काल नियंत्रण कराने की मांग की है।

गर्मी बढ़ते ही स्कूलों के समय में आया बदलाव

हरिभूमि न्यूज | धमतरी

भयावह गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। इसके लिए डीपीआई से आदेश भी जारी हुआ है। इस आदेश को सभी स्कूल को फारवर्ड कर दिया गया है। इस से समय में बदलाव सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा।

अप्रैल माह शुरू होने से पहले ही जिले में भयावह गर्मी शुरू हो गई है। लगातार गर्मी का



प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उधर अभी भी स्कूलों में लोकल कक्षाएं लग रही हैं। स्थिति को देखते हुए

राज्य सरकार ने स्कूलों के समय में परिवर्तन का निर्णय लिया है। इसके लिए डीपीआई से सभी जिलों में आदेश भेजा गया है, जिसके अनुसार 2 अप्रैल से सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया जाना है। यह बदलाव सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों में एक पाली में कक्षाएं संचालित होती हैं, वहां पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कक्षाएं लगेंगी। जहां पर दो पालियों में कक्षाएं संचालित होती हैं, वहां पर

प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाएं सुबह 7 से 11 बजे और हाई एवं हायर सेकेंडरी की कक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगेंगी। समय में परिवर्तन का यह आदेश 30 अप्रैल तक के लिए है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं। वहीं 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा अंतिम चरण में है। आज कक्षा 8वीं का अंतिम पेपर है। प्राइमरी, मिडिल की कक्षाओं के साथ 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं बाकी हैं। स्कूलों में इन कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई चल रही है।

सरकारी गाइडलाइन में जमीन के दाम बढ़ाने की चल रही तैयारी

पांच साल बाद बढ़ेंगे जमीन के दाम

हरिभूमि न्यूज | धमतरी

करीब पांच साल बाद जमीन की रजिस्ट्री की गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सरकार द्वारा एक साथ करीब 20-25 प्रतिशत बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है। यही नहीं रजिस्ट्री दर पर भी परिवर्तन की संभावना है। उधर नए वित्तीय वर्ष से पहले जिले में जमकर रजिस्ट्री हुई।

शहर ही नहीं पूरे जिले में जमीन के सरकारी दाम में पिछले पांच साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पांच साल पहले जो गाइडलाइन थी, उसी के आधार पर अब तक जमीन की खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री हो रही है। यही नहीं रजिस्ट्री में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अब नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में नए सिरे से जमीन के दाम को लेकर गाइडलाइन लागू करने की तैयारी चल रही है। जमीन के खसरा नंबर सहित अन्य चीजों में अंतर आया है।



मई-जून में लागू होगी नई गाइडलाइन

पांच साल में जमीन के दाम में परिवर्तन नहीं होने का सबसे बड़ा लाभ जमीन कारोबारियों को मिला। इन पांच सालों में जिले में जमीन की जमकर खरीदी बिक्री हुई। रजिस्ट्री दर और गाइडलाइन में जमीन की कीमत कम होने रजिस्ट्री का भार भी कम पड़ रहा था। मई जून तक खरीदी बिक्री का यह सिलसिला जारी रहेगा। बताया गया है कि नई गाइडलाइन मई जून तक लागू होगी तब तक पुरानी दर पर ही खरीदी बिक्री की जाएगी। नई दर लागू होने पर जमीन की खरीदी बिक्री में कुछ कमी आने की आशंका है।

इस हिसाब से परिसीमन भी किया जाना है। जिलास्तर की समिति द्वारा गाइडलाइन सहित अन्य औपचारिकता पूरी कर राज्य स्तर

की समिति सौंप दी गई है। जानकारी के अनुसार इसमें कई प्रमुख स्थानों में जमीन के दाम में 25-30 प्रतिशत बढ़ोतरी की

बाईपास सहित कई क्षेत्र में रजिस्ट्री होगी महंगी

कुछ ही सालों में बाईपास व उससे लगे गांवों में जमीन के दाम में कई गुना वृद्धि हुई है। बाईपास में जमीन सोने से भी महंगी है। मिली जानकारी के अनुसार बाईपास में प्रति डिसेमिल जमीन की कीमत 6-7 लाख रूपए तक पहुंच गई है। एक एकड़ जमीन तो करोड़ों रूपए में बिक रही है। वहीं बाईपास से लगे गांवों में भी जमीन के टुकड़ों की कीमत 3 लाख रूपए डिसेमिल तक पहुंच गई है। उधर सरकारी गाइडलाइन में इस क्षेत्र की जमीन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इस इलाके में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसी प्रकार शहर से लगे हुए इलाकों में भी जमीन महंगी हुई है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर बड़ी संख्या में कालोनियां डेवलप हो रही हैं।

अनुशांसा की गई है। राज्य सरकार द्वारा थोड़ा बहुत संशोधन के बाद इस प्रस्ताव को लागू किए जाने की संभावना है।

डेमो दिखाकर पूर्णतः प्रमाण-पत्र लिया अब पानी की समस्या से जूझ रहे

■ बगरुमनाला पंचायत के आश्रित ग्राम बंद्रापानी में नल जल योजना का बुरा हाल

हरिभूमि न्यूज | धमतरी

जिले में नल-जल योजना का बुरा हाल है। पीएचई अधिकारी और सरपंच से सेंटिंग कर ठेकेदार कार्य पूर्णतः का प्रमाण पत्र ले रहे हैं। बिजली की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद स्ट्रीट पोल से लाइन खींचकर टेस्टिंग करते हैं और अपना काम साधकर ठेकेदार फुर्त हो जाते हैं।

मंगलवार को नगरी तहसील के ग्राम पंचायत बगरुमनाला के आश्रित ग्राम बंद्रापानी से पहुंचे सरपंच राजेश्वरी कावड़े सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है कि जुलाई 2024 में नल जल योजना के तहत पानी टंकी बनकर तैयार हो चुकी है। पानी टंकी तैयार होने के कुछ सप्ताह बाद स्ट्रीट पोल से बिजली लेकर नल जल योजना की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग के दौरान घरों तक पानी की सप्लाई हुई। डेमो दिखलाने के बाद



पीएचई अधिकारी, सरपंच तथा ठेकेदार ने मिलकर गांव में ग्रामसभा का आयोजन किया। ग्रामसभा में महिलाओं से नल जल से पानी मिल रहा है, कहकर जबरदस्ती सहमति ली गई तथा वीडियोग्राफी करवाई।

कलेक्टर पहुंचे ग्रामीण भगवानी, श्रवण मरकाम, भावसिंग, परदेशी, मानसिंग, बलीराम, समारू, रामप्रसाद ने बताया कि नल जल योजना के लिए बंद्रापानी में बिजली की सुविधा नहीं है। बिजली के लिए गांव में ट्रांसफार्मर लगाना होगा। अन्य कार्य भी अधूरे हैं। गांव में दो हैंडपंप से पेयजल की आपूर्ति मुश्किल हो रही है। दो तालाब हैं जहां पानी सूखने की कगार पर है। उन्होंने बताया कि 25

जनवरी 2025 को जनसमस्या निवारण शिविर करेगा गांव में समस्या की जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या जल्द दूर करने की मांग की है।

सामुदायिक भवन की मांग

बंद्रापानी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे एक अन्य मांग पत्र में कहा है कि गांव में सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन की लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन उसकी मांग पर विधायक या अधिकारी गंभीर नहीं हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से सामुदायिक भवन बनाने की मांग की है।

पाठक सूचना

धमतरी जिले में
हरिभूमि समाचार पत्र के स्थान पर कोई अन्य अखबार मिल रहा हो। एवं समाचार पत्र की प्रतियां, विज्ञापन एवं खबरों के लिए संपर्क करें

मो. 9826114710, 9993322768
9098324969

हरिभूमि
समाचार ही नहीं, विचार भी

अब हर माह आप बनेंगे
भाग्यशाली विजेता

महाबम्पर ड्रा में शामिल होने का सुनहरा अवसर

प्रथम पुरस्कार
1 तोला, 5 नग
सोने का हार

द्वितीय पुरस्कार
1 स्कूटी (EV)

तृतीय पुरस्कार
2 नग
रेफ्रिजरेटर

चतुर्थ पुरस्कार
3 नग
LED TV

सातवना पुरस्कार
1100

नियम व शर्तें : 1. हर माह जन्मदिन उत्सव फॉर्मेट प्रकाशित किया जायेगा। योजना में भाग लेने के लिए पाठकों को हरिभूमि में प्रकाशित फॉर्मेट को भरकर हरिभूमि कार्यालय, ह्यूरो कार्यालय या अपने एजेंट/एजेंसी के पास जमा कर सकते हैं। 2. हरिभूमि के नये एवं पुराने पाठक डरम में भाग ले सकते हैं, जन्मदिन के फॉर्मेट एक माह पहले मंगलवार आठवने, उनके जन्मदिन पर उन्हें सुनिश्चित उपहार दिया जायेगा। 3. प्रात जन्मदिन के फॉर्मेट को एकत्रित कर महाबम्पर ड्रा में शामिल किया जायेगा जिसका ड्रा नवम्बर 2025 में किया जायेगा। 4. जन्मदिन फॉर्मेट के साथ आचार्य काई या जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ 3 माह अखबार का मासिक वित्त लगाना अनिवार्य होगा। 5. जन्मदिन फॉर्मेट की फोटो कापी भाल्य नहीं होगी। 6. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सभी नियम लागू होंगे। इस योजना के विजेता को आयकर के नियम व शर्तें मान्य होंगी। हरिभूमि निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सार्वभौमिक होगा। किसी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा। हरिभूमि कर्मचारी, एजेंट व उनके परिवार के सदस्य इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं। 7. विजय में टैक्स लागू उपहार भिन्ना हो सकते हैं।

